टी बोर्ड
14 बी.टी.एम. सरणी
कोलकाता-700001
वेबसाइट: www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं वित्त-AUD0IA(CNR)/1/2024-वित्त-पार्ट(1) /642 दिनांक 30.10.2024

सूचना

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन मासिक निर्यात रिटर्न जमा न करना

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 की धारा 30 के अनुसार, चाय बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रत्येक व्यवसाय लाइसेंसधारी को हर महीने चाय बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल https://onlineapps.teaboard.gov.in/ के माध्यम से मासिक निर्यात रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

तथापि, यह देखा गया है कि चाय के कई पंजीकृत निर्यातक वित्तीय वर्ष 2023-24 (सूची संलग्न) के लिए उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहे हैं, जिससे व्यापार लाइसेंसधारी द्वारा सूचना या रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के खंड 30 के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है।

इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मासिक निर्यात रिटर्न प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा चाय बोर्ड द्वारा चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अनज्ञापन नियंत्रक